खास-खबरें

भारत स्काउट एवं गाइड मप्र राज्य कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न

भोपाल। भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक मुख्यालय के सभागार में राज्य मुख्य आयुक्त पारसचन्द्र जैन की अध्यक्षता में हुई। श्री जैन ने कहा कि पदाधिकारियों से भारत स्काउट एवं गाइड आंदोलन के हित के लिये अपने सुझाव देने का आग्रह किया। श्री जैन कहा कि संस्था की गतिविधियों को सुचारू एवं बेहतर ढंग से संचालित करने सभी जरूरी कदम उठाये। बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा कर सर्वसम्मति से प्रस्तावों को पारित किया गया। बैठक का संचालन एवं आभार श्रीमती चन्द्रकांता उपाध्याय एसओसी गाइड द्वारा किया गया। भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश के राज्य मीडिया प्रभारी राधेश्याम चौऋषिया ने जानकारी देते हुए बताया कि, बैठक का संचालन राजेश प्रसाद मिश्रा (सेनि आईएएस) राज्य सचिव, भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से भारत स्काउट एवं गाइड मप्र. के राज्य आयुक्त रोवर राजीव जैन, राज्य आयुक्त गाइड श्रीमती सुलोचना शर्मा, राज्य आयुक्त रेंजर श्रीमती आशा सिंह, कोषाध्यक्ष रमेशचन्द्र शर्मा, राज्य मुख्यालय से राज्य संगठन आयुक्त गाइड श्रीमती चन्द्रकांता उपाध्याय, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट बीएल शर्मा, लीडर ट्रेनर डीपी मिश्रा, जिला मुख्य आयुक्त श्रीमती सविता भाटिया, अतुल रतन शाह, आलोक जैन, वृजेन्द्र जादौन, गुलाब शर्मा एवं जिलो से पधारे पदाधिकारी और लीडर ट्रेनर्स स्काउट-गाइड सहित विशेष आमंत्रित सदस्यों में ओपी गुप्ता, रमेश अग्रवाल, श्री अजय मिश्रा, ओम प्रकाश गुप्ता, विराम जैन, श्रीमती मीना डागौर, विनोद मालवीय, पीएन मिश्रा, सुरेश पाठक आदि सम्मिलित हुए।

टोल फ्री नं. 1912 पर दर्ज करा सकते हैं वितरण ट्रांसफार्मर असफल होने की शिकायत

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि मॉनसून सीजन के दौरान आँधी, बारिश एवं अन्य व्यवधान के कारण वितरण ट्रांसफार्मर असफल होने की शिकायतें 1912 पर दर्ज करा सकते हैं। अब उपभोक्ताओं के पास विद्युत ट्रांसफार्मर व्यवधान संबंधी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए कॉल सेन्टर के टोल फ्री नंबर 1912 एवं मोबाइल एप 'उपाय' का विकल्प मौजूद है। उपभोक्ता इन विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थापित वितरण ट्रांसफार्मर के असफल होने संबंधी शिकायतें या सूचना दर्ज करा सकते हैं।

भोपाल में डेंगू से संक्रमित दो मरीजों की मौत, सैकड़ों बीमार

भोपाल। प्रदेश की राजधानी में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जुलाई माह मे अभी तक यह संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। 2 मरीजों की मौत हो जाने की भी खबर है। जिनके लक्षण डेंगू की बीमारी के थे। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन जिनकी मृत्यु हुई है,उनके लक्षण डेंगू की बीमारी के ही थे। बारिश शुरू होते ही बड़े पैमाने पर डेंगू का प्रकोप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन डॉक्टरों के अनुसार जो मरीज क्लीनिक में आ रहे हैं,और जो अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं। उनमें डेंगू की बीमारी के लक्षण हैं। मरीज के जोड़ों में दर्द के साथ,प्लेटलेट्स लगातार कम हो रहे हैं। रैपिड टेस्ट कराए जाने पर डेंगू की पुष्टि हो रही है। बारिश में कॉलोनियों के खाली प्लाटों और कूलर इत्यादि में बड़े पैमाने पर डेंगू के मच्छर पनपते हैं। मलेरिया विभाग को इसकी जांच करनी चाहिए। जगह-जगह छिड़काव करने की ड्यूटी मलेरिया विभाग की है। लेकिन यह सारी ड्यूटी अधिकतम कागजों पर हो जाती है। इस विभाग में कर्मचारियों की संख्या काफी कम है। फाइलों पर ही सारे काम निपटाए जाते हैं। जुलाई और अगस्त का महीना डेंगू के मच्छरों के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। जिला मलेरिया अधिकारी दावा कर रहे हैं। उन्होंने 44 टीमों को लारवा सर्वे के काम में लगाया हुआ है। उनके अनुसार स्थिति सामान्य है। चिंता करने की कोई बात नहीं है।

हरियाणा से शराब आंध्रप्रदेश ले जा रहा तस्कर संपर्क क्रांति में धराया

भोपाल। आबकारी और आरपीएफ की टीम ने एक ऐसे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो हरियाणा से कम दामों में शराब खरीद कर संपर्क क्रांति से आंध्रप्रदेश लेकर जा रहा था। आरोपी आंध्र प्रदेश में महंगी कीमत में शराब बेचता था। आबकारी अफसरों से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर ने सूचना मिली थी कि संपर्क क्रांति में एक तस्कर शराब लेकर जा रहा है। खबर मिलने पर आबकारी टीम ने आरपीएफ के साथ ट्रेन तिरुपति संपर्क कांति एक्सप्रेस के कोच बी-तीन मैं सर्चिंग कर एक संदिग्ध आरोपी को पकड़ लिया।

इंजीनियरिंग छात्र का मां को आखिरी वीडियो कॉल, बोला

जल्द इंटर्नशिप शुरू होगी, एक साल बाद नौकरी करूंगा, खूब कमाऊंगा...

भोपाल(काप्र)।

राजधानी के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के इंजीनियरिंग छात्र हरे कृष्ण मंगरोल (22) ने गुरुवार को हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार को छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। रोती-बिलखती मां जवान बेटे के शव के इंतजार में मुर्दा घर के बाहर बैठी थी।

बेटे से आखिरी वीडियो कॉल की हर बात को याद कर फफक रही थी। इस कॉलिंग के दौरान उन्होंने बेटे के मुस्कुराते हुए चेहरे का स्क्रीन शॉट लिया था। इस आखिरी तस्वीर को मां मोबाइल में खोलकर निहार रही थी। उन्हें यकीन नहीं कि बेटा किसी परेशानी में था और उसने उसका जिक्र नहीं किया। उन्हें बेटे के साथ हॉस्टल में किसी अनहोनी की आशंका है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हम नर्मदापुरम के रहने वाले हैं। हरे कृष्ण मंगरोल (22) मेरा सबसे बड़ा बेटा और पांच बहनों का इकलौता भाई था। आरजीपीवी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष का छात्र था। वह कैम्पस स्थित चंद्रशेखर आजाद हॉस्टल के रूम नंबर 415 में अकेला रहता था। बेटा बेहद होनहार और पढ़ाई को लेकर हमेशा संजीदा रहता था। पढ़ने में उसे कभी कोई परेशानी नहीं रही। स्कूल के समय से ही पढ़ने में अव्वल रहा है। उसे पांच सब्जेक्ट में बैक लगा और उसने हमसे जिक्र नहीं किया। बुधवार की रात वह कमरे में गया था। अगले दिन पांच बजे तक नहीं निकला। इस दौरान किसी ने देखा क्यों नहीं। बच्चा बाहर नहीं आ रहा, इस बात पर किसी ने दिनभर क्यों गौर नहीं किया। हमें पूरा यकीन है कि हॉस्टल में उसके साथ कुछ गलत हुआ है। सरकार को मामले की निष्पक्ष जांच कराकर हमें न्याय दिलाना चाहिए। 12 जुलाई (बुधवार) की रात को हरे कृष्ण ने वीडियो कॉल किया था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने बताया था कि जल्द इंटर्नशिप शुरू होने वाली है। एक साल में डिग्री पूरी हो जाएगी। फिर अच्छा जॉब करूंगा और आपकी हर हसरत को पूरा करूंगा। इसी वीडियो कॉलिंग के दौरान मेरी छोटी बेटी और कृष्ण की बहन ने उसकी एक स्क्रीन शॉट ले ली थी। यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी यह मुस्कुराती तस्वीर ही उसकी आखिरी निशानी बन जाएगी। मृतक के पिता ध्रुवकुमार मंगरोल ने बताया कि बेटा कृष्ण हॉस्टल में पहले ही दिन से बेहद परेशान रहा। उसे कमरे की व्यवस्था हो गई बोलकर बुला लिया गया। बाद में कमरा खाली नहीं होने का हवाला दिया। हर हाल में रहकर बेटा पढ़ना चाहता था, लिहाजा उसने दो दिन तक हॉस्टल कैम्पस में रहकर समय काटा और फिर उसे कमरा मिला। वे बहुत ही समझदार था। इकलौता और घर का बड़ा होने के कारण आने वाले समय में उसे अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास था। अकसर बहनों को अच्छी पढ़ाई कराकर काबिल बनाने और घर की जिम्मेदारी को संभालने की बात करता था। मैं सवारी ऑटो चलाता हूं।

चीतों की मौत पर वन मंत्री का बयान

आगे मौत नहीं होगी ये कोई नहीं कह सकताः शाह

भोपाल(काप्र)। श्योपुर के कूनो-पालपुर अभयारण्य में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए चीतों की मौत को लेकर राजनीति गर्माई हुई है। अब तक सात चीतों की मौत कूनो में हो चुकी है। चीतों की मौत को लेकर वन मंत्री विजय शाह ने बयान दिया है।

वन मंत्री ने अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में कहा - बिना विशेषज्ञों की परमिशन के न तो चीतों को खाना दिया जाता है न उनको छोड़ा जाता है। जानवर के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है। पूरी टीम उसकी जांच करके फिर निर्णय लेती है। जो 4 बच्चे हुए थे वह बहुत तंदुरूस्त नहीं थे। उनको इसमें नहीं गिना जाना चाहिए। बाकी जो दो चीतों की मौतें हुई हैं उसको लेकर यह कह सकते हैं कि जानवरों में यह सामान्य प्रक्रिया है। भोजन, मैटिंग और अपनी टेरिटरी को लेकर जानवरों में आपसी वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है।

यह कहना सही नहीं है कि हम लोग उनकी ठीक से रक्षा नहीं कर पाए। आगे से कोई डेथ न हो ये कोई कैसे कह सकता हैं। जंगल में 24 घंटे कोई उनके साथ कैसे रह सकता है। ये कोई कैसे नहीं कह सकता कि आगे से कोई डेथ न हो। मेडिकल रिपोर्ट में यह सामने आया है कि वह शॉक में चला गया था। जो घाव थे वह इतने गहरे नहीं थे। वन मंत्री ने कहा- यह ऐसे प्राणी होते हैं जिनको ट्रेंकुलाइज नहीं करते। जब इन्हें लाए थे तब ट्रेंकुलाइज करके नहीं लाए थे। जब इनका परिवहन करते हैं तब ट्रेंकुलाइज नहीं करते। यह संवेदनशील जानवर है, जब आपसी लड़ाई होती है तो इनके दिल की धड़कन तेज हो जाती हैं तो वह शॉक में चले जाते हैं।

भोपाल को स्वच्छतम् शहर बनाना हैः चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल, राज्यों की राजधानी में स्वच्छतम राजधानी है। अब पुनः स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है, जिसमें सिटीजन फीडबेक मांगा जा रहा है। मैंने अपना फीडबेक दे दिया है। कृपया आप भी अपना फीडबेक दीजिए, जिससे हमारा भोपाल स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का स्वच्छतम शहर, बन सके। मुख्यमंत्री ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पौधरोपण के बाद महापौर श्रीमती मालती राय को स्वच्छता सर्वेक्षण में क्यूआर कोड पर दिए अपने फीडबेक के बाद भोपालवासियों के लिए सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी संदेश में यह बात कही।

संबल योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला

मृतक के परिजनों को नहीं मिलता योजना का लाभ

भोपाल(काप्र)। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मृत्यु हो जाने पर मजदूरों को 2 लाख और 4 लाख रुपए दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में हर माह करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं।

भोपाल नगर निगम के 6 जोन की 133 फाइलें के माध्यम से करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला उजागर हुआ है। मृत्यु सहायता के रूप में 2 लाख और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख की सहायता दिए जाने का नियम है। एक महिला द्वारा अपर आयुक्त टीना यादव को शिकायत की गई थी। जब इस मामले की जांच टीना यादव द्वारा शुरू की गई,तो जोन क्रमांक 39- 11-16-19-20 के जोनल अधिकारियों की आईडी से किए गए करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान का गड़बड़झाला उजागर हुआ।

इसमें सबसे बड़ा घोटाला जोन क्रमांक 16 में हुआ है। 90 फाइलों में से 65 फाइलों को, एक साथ रात के 11 बजे सिस्टम पर अपलोड किए जाने का प्रमाण जांच के दौरान मिला है। अंतरिम सहायता देने के नाम पर मृतक के सारे दस्तावेज नगर निगम के कर्मचारी अपने पास बुला लेते हैं। उसके बाद अलग आईडी से संबल योजना में 2 लाख और 4 लाख का भुगतान करते हैं। हर जोन में लाखों रुपए के घोटाले और घपले प्रतिदिन होने के प्रमाण सामने आए हैं। इसके बाद से अधिकारियों ने इस योजना की गंभीरता के साथ परीक्षण करना शुरू कर दिया है।

खाना खाने गया ड्रायवर, चोरी हो गया दस लाख का माल भरा ट्रक

भोपाल(काप्र)।

राजधानी की छोला मंदिर थाना पुलिस ने लाखों का माल भरे ट्रक को चुराने वाले बदमाश को 12 घंटों में किया गिरफ्तार करते हुए ट्रक बरामद कर लिया है। थाना पुलिस के अनुसार फरियादी सुधीर ने बताया कि वो ट्रक चालक है, और महाराष्ट्र से ट्रक नंबर एमएच 18- एए-9809 में माल भरकर भोपाल से गुजर रहा था। उसके साथ अन्य ट्रक भी महाराष्ट्र से आ रहा था। भानपुर में खाना खाने के लिये दोनो ने ट्रक को रोका। सूधीर दूसरे ट्रक में चला गया और वहाँ साथी चालक के साथ खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा इतने में देखा कि उसका सूना पड़ा ट्रक चोरी हो गया है। फरियादी ने तत्काल ही इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने दो टीमें बनाकर आसपास के इलाके में सर्चिंग शुरु की। खोजबीन के दौरान पुलिस टीम को चोरी गया ट्रक ब्यावरा रोड पर खड़ा नजर आया। पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को जप्त करने के साथ ही चोरी करने वाले आरोपी राहुल सिंह राजपूत निवासी कानपूर को गिरफ्तार कर लिया। चोरी गये ट्रक मे लोहे की चादरे सहित अन्य माल भरा था, जिसकी कीमत तीस लाख बताई गई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से आगे की पूछताछ करने के साथ ही उसका अपराधिक रिकार्ड खंगाल रही है।

नगर निगम पर एक करोड़ का जुर्माना

भोपाल(काप्र)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़े तालाब पर इकोलॉजी के नुकसान पहुंचाने पर नगर निगम भोपाल पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वन विहार गेट से 600 मीटर की दूरी पर तालाब किनारे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के निर्माण किए जाने पर यह जुर्माना लगाया गया है। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति डॉ अफरोज अहमद की जूरी ने यह आदेश दिया है। एनजीटी ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 3 माह के अंदर एक करोड़ रुपए जमा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही तालाब की इकोलॉजी को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए एक्शन प्लान पेश करने के लिए कहा है।

भोपाल, राजस्थान, जोधपुर के वाहन शोरूम में दे चुके हैं चोरी की वारदातों को अंजाम

भोपाल(काप्र)।

राजधानी की मिसरोद पुलिस ने वाहन शोरूम मे चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का किया खुलासा करते हुए गैंग के तीन हजार रूपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है।

यह गिरोह दिन मे वाहन शोरूम्स की रैकी करते और रात के अंधेरे में शोरूमो के पीछे की खिड़की एवं गेट को तोड़कर घटना को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक बीती 16 दिसंबर 2022 को फरियादी ने रिपोर्ट करते हुए बताया कि विन विन महिन्द्रा शोरूम से अज्ञात चोरो ने वाहन शोरूम के पीछे का कांच के गेट का लॉक तोड़कर एवं अंदर घुसकर कैश काउंटर मे रखी तिजोरी नगदी सहित चोरी कर ली है। जांच के बाद मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की सुरागरसी के लिए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले साथ ही तकनीकी पड़ताल से हाथ लगी जानकारी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक संदेही जैकी चौहान पिता नैन सिंह चौहान 23 साल निवासी ग्राम जूनापानी थाना किल्लोद जिला खण्डवा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करने पर आरोपी ने शोरूम मे चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया। आरोपी जैकी चौहान ने पुलिस को बताया कि वह ओर उसके अन्य साथी पूरे देश में मजदूरी करने के बहाने घूमते है और वाहन शोरूम में दिन में रैकी करने के बाद रात को वाहन शोरूम में पीछे की तरफ खिडकी तोड़कर शोरूम में घूसकर तिजौरी चोरी करते है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी गया माल बरामद करते हुए कोर्ट में पेश कर आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। गैंग के फरार आरोपियों के नाम शिवा चौहान पिता देवराम चौहान निवासी ग्राम जूनापाली थाना किल्लोद जिला खण्डवा, गुड्डु मोहते पिता मोहन मोहते निवासी न्यू अम्बेडकर नगर कोलार भोपाल, बादल जाधव पिता हीरालाल जाधव निवासी बजार पट्टी मुक्ती नगर जलगाँव महाराष्ट्र और करन निवासी ढाबा पिपरिया इच्छापुर महाराष्ट्र बताए गए है। आरोपी के कब्जे से ताला तोड़ने वाले औजार सहित एक लाख रुपये भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी से पुलिस अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ करने के साथ ही गैंग के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। अधिकारियों का कहना है, कि गैंग ने कई शहरों में वारदातों को अंजाम दिया है।

पटवारी भर्ती परीक्षा मामले की व्यापक जांच होना चाहिएः पटवारी

भोपाल(काप्र)।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मध्यप्रदेश में हाल ही में उजागर हुए कथित पटवारी भर्ती घोटाले के मामले में आज राज्य की भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि इसे दबाने की कोशिश की बजाए इस संपूर्ण मामले की व्यापक जांच होना चाहिए।

श्री पटवारी ने यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि वे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने भले ही दबी जुबान से, लेकिन स्वीकार किया है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है। श्री पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कल रात कर्मचारी चयन मंडल की ओर से आयोजित समूह 2, उपसमूह 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणामों में से एक परीक्षा केंद्र के परिणाम पर संदेह व्यक्त करते हुए परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।

In the Court of VII Civil Judge Class-1, District Court Bhopal
Presiding Officer: विधान माहेश्वरी
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCSA/0001236/2022)
पुष्पा गौतम............... वादी V/S
प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित सहकार भवन ..... प्रतिवादी
Process Id- /2023
पेशी दिनांक : 21/08/2023
प्रेषिती: (1) सर्वसाधारण पता- सर्वसाधारण
यह कि प्रार्थी पुष्पा गौतम ने आपके विरुद्ध वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु के लिए वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों को उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें। जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 12 जुलाई 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें:** यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।
विधान माहेश्वरी,
सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)
2025

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लघु उद्योग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल
(पंजी.क्र./डीआरबी/708, दि. 1.7.1996)
क्रमांक/निर्वा.अधि./ 2023/03
दिनांक. 14.07.2023
सूचना
संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकास खण्ड फंदा, भोपाल को-आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, शाखा टी.टी. नगर, जिला-भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 14/07/2023 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 14/07/2023 से 21/07/2023 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 22/07/2023 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट / साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।
संगीता मीना
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लघु उद्योग गृह निर्माण सहकारी संख्या मर्यादित, भोपाल
2026

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री सांई कृपा नागरिक सहकारी साख संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल
(पंजी. क्र./एआरबी/1013, दि. 1.6.2012)
दि.14.7.2023
क्रमांक/निर्वा.अधि./2023/03
सूचना
संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकास खण्ड फंदा, झरनेश्वर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, शाखा एम.पी. नगर, जिला-भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 14/7/2023 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 14/7/2023 से 21/7/2023 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 22/07/2022 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।
मुकेश गुप्ता
श्री सांई कृपा नागरिक सहकारी साख संस्था मर्यादित, भोपाल
2027

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गाँधी मेडिकल कॉलेज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल
(पंजी.क्र./डी.आरबी.-436, दि. 26.12.1984)
क्रमांक/ रजि. अ./2023/02
भोपाल दिनांक 14.07.2023
सूचना
सूचित किया जाता है कि, संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन विशेष साधारण सम्मिलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था कार्यालय के नोटिस बोर्ड, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, भोपाल, विकास खण्ड फंदा, भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल की शाखा विजय नगर, लालघाटी, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 14/7/2023 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 14/07/2023 से दिनांक 21/07/2023 तक मुझे अथवा मेरे द्वारा अधिकृत श्रीमती अलका तिग्गा (सहकारी निरीक्षक) को कार्यालयीन समय दोपहर 12.00 बजे से 05.00 बजे तक कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, (डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय) भोपाल में सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्तदावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, (डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय), भोपाल में दिनांक 22/07/2023 को दोपहर 12.00 बजे से किया जावेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।
पंकज श्रीवास्तव
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गाँधी मेडिकल कॉलेज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल
2028

जाहिर सूचना
मैं अपने पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे पक्षकार ने श्रीमती सुनीता गंगेले पत्नी श्री भगवान दास गंगेले निवासी पुराना भानपुर गांव, भानपुर, भोपाल म.प्र. का एक किता प्लाट क्र. 278 जिसका क्षेत्रफल 15x30-450 वर्गफिट अर्थात 41.82 वर्गमीटर है, जो खसरा नं. 95/1/1/3-ग का अंशभाग आवासीय लीलाधर नगर, ग्राम भानपुर, नगर निगम सीमाओं के अंदर तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र. में स्थित है, जिसकी चतुर्थ सीमाये निम्न है :- दिशा पूरब में प्लाट नं. 279, दिशा पश्चिम में प्लाट नं. 272, दिशा उत्तर में प्लाट नं. 229, दिशा दक्षिण में कालोनी रोड, जो उप पंजीयक कार्यालय भोपाल में श्रीमती सुनीता गंगेले के नाम से इंद्राज है। जिसे मेरे पक्षकार ने क्रय करने का अनुबंध किया हैं, और बयाना राशि अदा कर दी है एवं उक्त प्लाट के सम्बंध में किसी व्यक्ति एवं परिवार के अन्य सदस्यों एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियो को संस्था / बैंक हाऊसिंग फायनेन्स संस्था / शासकीय गैर शासकीय कार्यालय / हाऊसिंग बोर्ड को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या उक्त वर्णित प्लाट कही विकय अनुबंध, दान, गिरवी, वसीयत, हिबा, मैहर, हस्तांतरण इत्यादि हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 07 (सात) दिवस की अवधि में मेरे कार्यालय में मय दस्तावेजो सहित उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा समयावधि निकल जाने के पश्चात् मेरा पक्षकार उक्त वर्णित प्लाट का विकय प्रतिफल राशि अदा कर विक्रय पत्र पंजीयन अपने पक्ष में करा लेगा, और समयावधि निकल जाने के पश्चात् कोई भी आपत्ति एवं दावा मान्य नही होगा।
सतीश अहेलिया (एडवोकेट/नोटरी), कार्यालय 123, नारंग टाईपिंग सेन्टर एण्ड सर्विस प्रोवाइडर, अप्सरा टॉकीज के पास, रायसेन रोड, भोपाल मो. 9826162974, 9826472014
2029

न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोलार, जिला भोपाल
प्रकरण क्रमांक-1314/अ-6/2023-24
इश्तहार
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रकरण में आवेदक श्री अद्विक चौकसे, आरव चौकसे पिता/श्री अमित कुमार चौकसे द्वारा ग्राम कटारा प.ह.नं. 01 स्थित खसरा क्रमांक 327/6 (एस) रकबा 0.0929 हे. का पंजीकृत विक्रय पत्र आधार पर नामांतरण सह बटान किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 17/07/23 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 10/07/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।
सील
तहसीलदार, तहसील कोलार, जिला भोपाल
2020

Court Of XXVI Additional District and Session JudgeAdditional Motor Accident Claims Tribunal, District Court, Bhopal
Presiding Officer: अमित रंजन समाधिया
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु
(MACC0001716/2022)
रामबाबू गुर्जर..**वादी** VS नीतेश उर्फ गब्बर.. **प्रतिवादी**
Process ID/2023 पेशी दि.18/08/2023
प्रेषिती-(1) मोहम्मद आरिफ पिता मोहम्मद इबरीस पता- सेमाहिउददीन का मकान 4 गिन्नौरी रोड ओरियन स्कूल के सामने बुधवारा भोपाल। यह कि प्रार्थी राम बाबू गुर्जर ने आपके विरूद्ध आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटर यान अधिनियम 1988 के लिए बाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं. जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज दिनांक 10 जुलाई 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया। **कृपया ध्यान दें**:-1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।
सील
न्यायाधीश, अमित रंजन समाधिया
छब्बीसवें मोटर दुर्घटना व्यवहार न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.)
2021

न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोलार, जिला भोपाल
प्रकरण क्रमांक-1315/अ-6/2023-24
इश्तहार
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रकरण में आवेदक श्रीमती चित्रा सिंह पिता/पत्नी/पुत्री डॉ. गणेश सिंह ठाकुर द्वारा ग्राम कटारा प.ह.नं. 01 स्थित खसरा क्रमांक 327/6 (एस) रकबा 0.3118 हे. का पंजीकृत विक्रय पत्र आधार पर नामांतरण सह बटान किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 17/07/23 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 10/07/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।
सील
तहसीलदार, तहसील कोलार, जिला भोपाल
2022